

17.2.26

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित नहीं  
वकील वादी व वादी को न्यायालय से बार बार भवाने  
लगाई गई किन्तु सूचना के बावजूद उपस्थित नहीं  
पत्रावली में वकील वादी को जिरह हेतु वादी गवाह  
पेश करने का पूर्व में अन्तिम अवसर इसके पश्चात्  
500 रु कोष्ट पर अन्तिम अवसर इस निर्देश के  
साथ दिया गया था कि आइन्दा पेशी पर जिरह  
हेतु वादी गवाह पेश नहीं किया गया तो साक्ष्य वादी  
बन्द समझी जावेगी किन्तु उक्त निर्देश के बावजूद भी  
वादी गवाह पेश नहीं किया जाने से साक्ष्य वादी  
बन्द कि जाती है। वादवादी का दावा अदम्य हाजरी  
अदम्य पेशी अदम्य साक्ष्य सबूत में खारिज किया  
जाता है। पत्रावली पेशल शुमार होकर नम्बर  
से कम हो।